न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 84/2021(जी.सी.एम.एस. 2021/164)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. रामकिशन पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी 149-पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर।	1. महेन्द्र कुमार पुत्र गणपत्रा लाल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. विनोद कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति कुम्हार निवासी इन्द्रा कॉलोनी बीकानेर। 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 14.09.2021

उपस्थितः **1.श्री योगेश कुमार बंसल, श्री गौरव कुमार बिश्नोई अधिवक्ता वादी**
2.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

--निर्णय-- **दिनांकः 29.10.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 72/65 के मुरब्बा नम्बर 37, 38, 52/18 की कुल 3.832 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त मुश्तर्का खाता की भूमि में वादी के नाम 1.277 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी का कब्जा काश्त चक 1 एम के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 12 की 15 बिस्वा, किला नम्बर 13, 18, 23 की सालम-सालम, किला नम्बर 19 के 12-1/2 बिस्वा, किला नम्बर 22 के 12-1/2 बिस्वा और मुरब्बा नम्बर 52/18 की 1 बिस्वा गैरमुमकिन खाला भूमि जो मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 2 के साथ लगती है, कुल 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर है। वादी के कब्जा काश्त की भूमि के अतिरिक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का अपने-अपने हिस्सानुसार कब्जा काश्त है। वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 19.08.2021 को उपर्युक्तानुसार संयुक्त खाता की भूमि का सहमति से विभाजन करने को कहा जिस पर प्रतिवादीगण ने सहमति से विभाजन करने से मना कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 के नाम चक 1 एम के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 12 की 15 बिस्वा, किला नम्बर 13, 18, 23 की सालम-सालम, किला नम्बर 19 के 12-1/2 बिस्वा, किला नम्बर 22 के 12-1/2 बिस्वा और मुरब्बा नम्बर 52/18 की 1 बिस्वा गैरमुमकिन खाला भूमि का खाता व लगान अलग से कायम करने के आदेश प्रदान किए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 1 एम के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 19/2 की 0.051 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/2 की 0.051 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 3/2 की 0.050 हैक्टेयर, किला नम्बर 4 ता 10 प्रत्येक सालम-सालम, कुल 1.923 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम चक 1 एम के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 19/3 की 0.063 हैक्टेयर किला नम्बर 20 के साथ चिपता, किला नम्बर 22/2 की 0.063 हैक्टेयर किला नम्बर 21 के साथ चिपता, किला नम्बर 20 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.253 हैक्टेयर कुल 0.632 हैक्टेयर का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। तनकीयात कायम की गई। साक्ष्यवादी में गवाह रामकिशन उपस्थित आया व शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। दस्तावेजात प्रदर्श करवाए गए। जिरह वकील प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने हेतु अर्ज किया। लिहाजा साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी के वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के काउन्टर क्लेम मुताबिक प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। लिहाजा साक्ष्यवादी व साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहता है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 72/65 के मुरब्बा नम्बर 37, 38, 52/18 की कुल 3.832 हैक्टेयर भूमि में से वादी रामकिशन के नाम 1.932 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार के नाम 1.923 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 विनोद कुमार के नाम 0.632 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई। बहस अधिवक्तागण सुनी गई। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 72/65 के मुरब्बा नम्बर 37, 38, 52/18 की कुल 3.832 हैक्टेयर भूमि में से वादी रामकिशन, प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार, प्रतिवादी संख्या 2 विनोद कुमार के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
रामकिशन पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी 149-पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर। (1.277 हैक्टेयर)	1 एम	37	12/2	0.189 हैक्टेयर	नहरी	1.42
			13, 18	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
			19	0.156 हैक्टेयर	नहरी	1.17
			22	0.156 हैक्टेयर	नहरी	1.17
			23	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
		52/18		0.017 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
महेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर। (1.923 हैक्टेयर) विनोद कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति कुम्हार निवासी इन्द्रा कॉलोनी बीकानेर। (0.632हैक्टेयर)	1 एम	37	19	0.097 हैक्टेयर	नहरी	0.73
			20, 21	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
			22	0.097 हैक्टेयर	नहरी	0.73
		38	3/2	0.050 हैक्टेयर	नहरी	0.38
			4 ता 10	1.771 हैक्टेयर	नहरी	13.30
		52/18		0.034 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा ... खाता एंव **रहन बदस्तूर रहेगा।** ... रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने ... डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम ... बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

रामकिशन सिंह बनाम महेन्द्र कुमार आदि
धारा अन्तर्गत **53 आरटीए** मुकदमा नम्बर **84/2021**
निर्णय दिनांक :-29.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सहायक उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री योगेश कुमार बसंल, श्री गौरव बिश्नोई व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किराजस्व ग्राम 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 72/65 के मुरब्बा नम्बर 37, 38, 52/18 की कुल 3.832 हैक्टेयर भूमि में से वादी रामकिशन, प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार, प्रतिवादी संख्या 2 विनोद कुमार के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	रामकिशन पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी 149-पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर। (1.277 हैक्टेयर)	1 एम	37 52/18	12/2 13, 18 19 22 23	0.189 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.156 हैक्टेयर 0.156 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.017 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा.	1.42 3.80 1.17 1.17 1.90 0.00
2	महेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर। (1.923 हैक्टेयर) विनोद कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति कुम्हार निवासी इन्द्रा कॉलोनी बीकानेर। (0.632हैक्टेयर)	1 एम	37 38 52/18	19 20, 21 22 3/2 4 ता 10	0.097 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.097 हैक्टेयर 0.050 हैक्टेयर 1.771 हैक्टेयर 0.034 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा.	0.73 3.80 0.73 0.38 13. 30 0.00

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।
आज दिनांक 29.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	300	00
योग	304	**00**

मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प अरजी	02	--
मेहनताना वकील पर	00	--
योग	**04**	**00**

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 30.10.2024

क्रमांक: रीडर/ 2024/574
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर